झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक प्रकीर्ण याचिका सं. 1555 वर्ष 2021

दया शंकर ओझा, उम्र लगभग 56 वर्ष पुत्र स्व. महामृत्युंजय ओझा, निवासी कोयला विहार, फ्लैट सं. 406 ए, कनके रोड, पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना राँची-8 झारखण्ड

.....याची

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. रॉबिन सिंह, पुत्र स्व. पीताम्बर सिंह, निवासी पुनसिया, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना विन्दापत्तर , जिला जामताड़ा

.....विरोधीपक्षकारगण

याची के लिए	:	श्री अभिषेक सिंह अधिवक्ता
		श्री प्रवीक सेन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पंकज कुमार, लोक अभि.
विरोधी पक्षकार सं. 02 के लिए	:	श्री कौशल किशोर मिश्रा, अधिवक्ता
		श्री जितेन्द्र एस सिंह ,अधिवक्ता

निर्णीत

मा. श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायलय द्वारा - पक्षकारों को सुना

2. इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका को पी.सी.आर. मामला सं. 239 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जामताड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-04-2019 का अभिखंडन करने तथा अपास्त करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विन्दापाथर पुलिस थाना के भार साधक अधिकारी को द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के अन्तर्गत शक्ति के प्रयोग प्र.सू.रि. संस्थित करने तथा विन्दापाथर पुलिस थाना मामला सं. 41 वर्ष 2019 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जामताड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-08-2023 को अभिखंडित करने तथा अपास्त करने का निदेश दिया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/420 के अधीन दण्डनीय अपराधो के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया था तथा अन्य बातो के साथ याची के विरूद्ध इसका संज्ञान लिया था।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची ने परिवादी को इस समझौते के साथ सड़क के निर्माण हेतु काम में लगाया था कि परिवादी को कार्य के पूरा होने के पश्चात प्रतिभूति धनराशि का 7.5 प्रतिशत तथा चालू बिल धनराशि से 5 प्रतिशत कटौती करने के बाद उक्त कार्य का पैसा संदत्त किया जायेगा तथा उक्त समझौते के अनुसार, परिवादी/विरोधी पक्षकार सं. 2 ने कार्य किया था तथा किये गये कार्य हेतु पारिवादी को याची द्वारा रू 80,25000 की धनराशि संदत्त किया गया है लेकिन तत्पश्चात याची ने एकाएक कार्य का पर्यवेक्षण तथा प्रबंध न करने का निर्णय लिया था तथा परिवादी रू 17,52,297/-प्राप्त करने का हकदार था जिसे संदत्त नही किया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रियंका श्रीवास्तव एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य (2015) 6 एससीसी 287 में संप्रकाशित के मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसका पैरा 31 निम्नवतपठित है :.

> *31.“हमने पहले ही संकेत दिया है कि धारा 156 (3) के अधीन याचिका दाखिल करते समय धारा 154 (1) तथा 154 (3) के अधीन पूर्व आवेदन होना चाहिए । दोनो पहलूओ को आवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए तथा इस आशय के आवश्यक दस्तावेजो को दाखिल किया जायेगा। निदेश देने के लिए समादेश कि धारा 156 (3) के अन्तर्गत आवेदन शपथपत्र द्वारा सर्मीथत हो जिससे आवेदन करने वाला व्यक्ति अभिज्ञ हो सके तथा यह देखने का प्रयास कर सके कि निथ्या शपथ पत्र न किया जाय। ऐसा इसलिए क्योकि एक बार शपथपत्र को झूठा पाया जाता है, वह विधि के अनुसार अभियोजन के लिए दायी होगा। यह इसे धारा 156 (3) के अधीन मजिस्ट्रेट के अधिकार का यों ही अवलेव लेने से रोका जायेगा। इसके अलावा, हमने पहले ही कहा है कि इसकी सत्यता या सत्यापन विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मामले के अभिकथनो के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। हम यह कहने के लिए मजबूर है कि राजवितिय क्षेत्र, वैवाहिक विनाद/ पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा उपेक्षा मामले, भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित कई मामले तथा ऐसे मामले जहाँ दाण्डिक कार्यवाही आरंभ करने में असामान्य विलंब/ अति विलम्ब होता है जैसा ललिता कुमारी (2014) 2 एससीसी 1रू (2014) 1 एससीसी (क्रि) 524) में स्पष्ट किया गया है दाखिल किया जा रहा है। इसके अलावा विद्वान मजिस्ट्रेट को प्र.सू.रि. दर्ज कराने में विलम्ब के बारे में भी सजग रहना होगा।”*

आगे निवेदन किया है कि परिवाद द.प्र.सं. की धारा 154 (1) तथा 154 (3) के अनुपालन के बिना दाखिल किया गया है। अतः प्र.सू.रि. का पंजीकरण स्वयं विधि में दोषपूर्ण है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे आनंद कुमार मोहट्टा एवं एक अन्य बनाम राज्य (दिल्ली रा.रा.क्षे.),गृह विभाग तथा एक अन्य (2019) 11 एससीसी 706 में संप्रकाशित मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसका पैरा 16 निम्नवत पठित है।-

" 16 इस धारा के शब्दों में ऐसा कुछ नही है जो केवल प्र.सू.रि. के प्रक्रम पर न्यायालय के कार्यवाही के दुरुप्रयोग या घोर अन्याय को रोकने के लिए न्यायालय के शक्ति के प्रयोग को निर्वन्धित करता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि उच्च न्यायालय तब भी द.प्र.सं. की धारा 482 क अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जब उन्मोचन आवेदन विचारण न्यायालय में लंबित होता है। ङ जी.सागर सुरी बनाम उ.प्र. राज्य (2000) 2 एससीसी 636, पैरा 7 रू 2000 एससीसी (क्रि) 513, उमेश कुमार बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य (2013) 10 एससीसी 591, पैरा 20 (2014) 1 एससीसी (कि) 338 : (2014) 2 एससीसी (एल एवं एस) वास्तव में, यह धारित करना विडम्बना होगा कि शक्ति के विरूद्ध आरंभ कार्यवाहियो में प्र.सू.रि. के प्रक्रम पर हस्तक्षेप किया जा सकता है लेकिन हस्तक्षेप तब नही किया जा सकता है यदि यह आगे बढ गया है तथा अभिकथन आरोप पत्र में मूर्त रूप ले चुके है। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि प्र.सू.रि. द्वारा कारित कार्यवाही का दुरूपयोग गंभीर हो जाता है यदि प्र.सू.रि. ने अन्वेषण के बाद आरोप पत्र का रूप ले लिया है। शक्ति को निःसन्देह किसी न्यायालय के शक्ति के कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकने के लिए दिया गया है।"

आगे निवेदन किया गया है मात्र इसलिए क्योकि इस बीच आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा संज्ञान लिया गया है, यह प्र.सू.रि. के पंजीकरण में अवैधता को हल्का नही करेगा क्योकि प्र.सू.रि. द्वारा कारित कार्यवाही का दुरूपयोग गंभीर हो जाता है यदि प्र.सू.रि. ने अन्वेषण के बाद आरोप पत्र का रूप ले लिया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे विनोद कुमार तथा अन्य बनाम बिहार राज्य तथा एक अन्य (2014) 10 एससीसी 663 में संप्रकाशित मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसका पैरा 18 निम्नवत पठित है रू-

" 18 वर्तमान मामले में, परिवाद में अभिकथनो पर विचार करते हुए प्रत्यक्षतः हम पाते है कि ऐसा कोई अभिकथन नही किया गया है जिससे धारा 405 भा.द.सं. का संघटक आकृष्ट हो। इसी प्रकार स्वयं के पास सदोष अभिलाभ रखने या परिवादी को सदोष अपहानि

कारित करने के लिए धन रखने में अपीलार्थीगण के छल या बेईमानीपूर्ण आशय के संबंध में कोई अभिकथन नही है। इस लिए अभिकथनो के सिवाय कि अपीलार्थीगण ने दूसरे प्रत्यर्थी को भुगतान नही किया था तथा यह कि अपीलार्थीगण ने स्वयं द्वारा या किसी अन्य कार्य के लिए धनराशि का उपयोग किया था, सम्पत्ति का दुर्विनियोग करने में बेईमानीपूर्ण आशय के सम्बन्ध में रंच मात्र भी अभिकथन नही है। आपराधिक न्याय भंग का मामला बनाने के लिए यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नही है कि अपीलार्थीगण द्वारा पैसा रखा गया है। यह भी प्रर्दिशत किया जाना चाहिए कि अपीलार्थीगण ने बेईमानीपूर्ण तरीके से इसे किसी और तरीके से खर्च कर दिया है या बेईमानीपूर्ण तरीके से इसे रखा है। मात्र तथ्य कि अपीलार्थीगण ने परिवादी को पैसा अदा नही किया था आपराधिक न्याय भंग के तुल्य नही है। (बल दिया गया)

आगे निवेदन किया गया है कि किसी अभिकथन के अभाव में कि याची का पक्षकारो के बीच संव्यवहार के बिल्कुल आरंभ से कोई बेईमानीपूर्ण आशय था, न तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध बनता है न ही याची के विरुद्ध न्यस्त सम्पत्ति के बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग के किसी अभिकथन के अभाव में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन दण्डनीय अपराध याची के विरूद्ध नही बनता है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे पंजाब राज्य बनाम दविन्दर पाल सिंह भुल्लर तथा अन्य (2011) 14 एससीसी 770 में संप्रकाशित के मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसका पैरा - 107 तथा 109 निम्नवत पठित है। :-

" 107 यह सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि यदि आरंभिक कार्यवाही विधि के अनुसार नही है, सभी पश्चातवर्ती तथा पारिणामिक कार्यवाहियाँ इस कारण टाय टाय फिस हो जायेगी कि अवैधता आदेश की जड़ खोदता है। इस प्रकार के तथ्य स्थिति में, विधिक सूत्र कि जब बुनियाद हट जाती है, ढ़ाचा/ कार्य ढ़ह जाती है लागू होता है तथा वर्तमान मामले के सभी विषयो पर लागू होता है

109. इसी प्रकार, मंगल प्रसाद तमोली बनाम नर्वदेश्वर मिश्रा (2005) 3 एससीसी 422 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि आरंभिक प्रक्रम पर आदेश विधि में दोषपूर्ण है, तब इसके परिणामस्वरूप सभी आगे की कार्यवाहियाँ निरर्थक होगी तथा आवश्यक रूप से अपास्त किया जाना चाहिए।" (बल दिया गया)

आगे निवेदन किया है कि यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि यदि आरंभिक कार्यवाही विधि के अनुसार नहीं है, सभी पश्चातवर्ती तथा पारिणामिक कार्यवाहियाँ इस कारण टाय टाय फिस हो जायेगी कि अवैधता आदेश की जड़ खोदता है।

8. अतः यह निवेदन किया गया है कि इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका में याची द्वारा किये गये अनुरोधो को अनुज्ञात किया जाय।

9. राज्य के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान लो. अभि. तथा विरोधी पक्षकार सं. 02 के विद्वान अधिवक्ता ने इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका में याची द्वारा किये गये अनुरोधो का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि प्र.सू.रि. के पंजीकरण में अवैधता, यदि कोई है आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिये जाने के साथ समाप्त हो गई है। अतः, इस विलम्बित प्रक्रम पर इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका में याची द्वारा किये गये अनुरोधो को अनुज्ञात नही किया जाना चाहिए। अतः यह निवेदन किया गया है कि इस आ.प्र.या. को किसी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

10. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्द्वी निवेदनो को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीयो का सावधानीपूर्वक परिशीलन के बाद यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है जैसा अपील की विशेष अनुमति (दा.) सं. 13762/2023 के लिए याचिका में रमेश कुमार बंग तथा अन्य बनाम तेलंगाना राज्य तथा एक अन्य के मामले में पारित भारत के मा. उच्च न्यायालय अपने आदेश दिनांक 04-03-2024 में दोहराया गया है कि श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव तथा एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निदेश आज्ञापक है।

11. अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीयों का परिशीलन के बाद, यह न्यायालय पाता है परिवाद द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है यद्यपि द.प्र.सं. की धारा 154 (1) तथा 154 (3) का अनुपालन किया गया है। अतः निःसंदेह प्र.सू.रि. का पंजीकरण विधि में संधार्य नही है तथा आदेश दिनांक 16-04-2019 जिसके द्वारा परिवाद विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जामवाड़ा द्वारा पुलिस थाना के भार साधक से द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के अधीन निर्दिष्ट किया गया था भी विधि में संधार्य नही है।

12. अब मामले के तथ्यो पर आते है, यह सुस्पष्ट है कि याची तथा परिवादी के बीच व्यापार संव्यवहार था तथा याची ने परिवादी को कुछ धनराशि संदत्त किया है। पूर्णतया ऐसा कोई अभिकथन नही है कि याची का आरंभ से परिवादी की वंचना करने का आशय है। विधि का यह सुस्थापति सिद्धान्त है जैसा उमा शंकर

गोपालिका बनाम बिहार राज्य तथा एक अन्य (2005) 10 एससीसी 336 में संप्रकाशित है के मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है जिसका पैरा 6 निम्नवत पठित है रू.

6."Xxxx xxxx xxxx यह सुस्थापित है कि प्रत्येक संविदा भंग छल करने के अपराध को उद्भूत नही करेगा तथा मात्र उन मामलो में संविदा भंग छल करने के तुल्य होगा जहाँ बिल्कुल आरंभ में कोई प्रवंचना किया गया था। यदि छल करने का आशय बाद में व्यक्त किया गया है, यह छल करने के तुल्य नही हो सकता है। वर्तमान मामले में कही भी यह नही कहा गया है कि बिल्कुल आरंभ में अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से छल करने का कोई आशय था जो धारा 420 भा.द.सं. के अधीन अपराध हेतु पुरोभाव्य शर्त है।" (बल दिया गया)

यह कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध गठित करने के लिए यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त का आरंभ से प्रवंचना करने का आशय था। यदि प्रवंचना का आशय बाद में व्यक्त किया जाता है, यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय छल करने के अपराध के तुल्य नही होगा।

13. अब, मामले के तथ्यो पर आते है, याची के विरूद्ध पूर्णतया कोई अभिकथन नही है कि याची का आरंभ से परिवादी की प्रवंचना करनेका कोई आशय था। उपर्युक्त के अभाव में, इस न्यायालय को यह धारित करने में कोई हिचकिचाहट नही है कि भले ही परिवाद, प्र.सू.रि. में किये गये अभिकथनो, मामले के अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्रीयो तथा आरोप पत्र को इसके सम्पूर्णता में सत्य माना जाता है फिर भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध याची के विरूद्ध नही बनता है।

14. जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन दण्डनीय अपराध का संबंध है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है जैसा विनोद कुमार तथा अन्य बनाम बिहार राज्य तथा एक अन्य (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है कि अपराधिक न्याय भंग का मामला बनाने के लिए यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नही है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पैसा रखा गया है। यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि अभियुक्तगण ने बेईमानीपूर्वक किसी और तरीके से इसे समाप्त किया था या बेईमानीपूर्वक इसे रखा था। याची के विरूद्ध इसे न्यस्त किसी सम्पत्ति को बेईमानीपूर्वक निपटाने के बारे में पूर्णतया कोई अभिकथन नही है न ही कोई अभिकथन है कि याची ने बेईमानीपूर्वक कोई न्यस्त सम्पत्ति या कोई सम्पत्ति रखा था जिस पर इसका कोई स्वामित्व था।

15. इन परिस्थितियो में, इस न्यायालय को यह धारित करने में कोई हिचहिचकाहट नही है कि भले ही परिवाद, प्र.सू.रि.में किये गये अभिकथनो, मामले के अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्रियो तथा आरोप पत्र

इसके सम्पूर्णता में सत्य माना जाय फिर भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन दण्डनीय अपराध याची के विरूद्ध नही बनता है।

16. तद्नुसार इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि ऊपर पर किये गये विवेचनाओ के कारण, यह उपयुक्त मामला है जहाँ पी.सी आर मामला सं 239 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जामताड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-04-2019 का अभिखंडन तथा अपास्त करने एवं बिन्दापाथर पी.एस मामला सं. 41 वर्ष 2019 में न्यायिक मजिस्ट्रेट I श्रेणी , जामताड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-08-2023 का अभिखंडन करने तथा अपास्त करने के याची के अनुरोध को अनुज्ञात किया जाय।

17. तद्नुसार पी.सी.आर मामला सं. 239 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जामताड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-04-2019 तथा बिन्दापाथर पुलिस थाना मामला सं. 41 वर्ष 2019 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-08-2023 को याची के विरूद्ध अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

18. परिणाम स्वरूप इस आ.प्र.या. को अनुज्ञात किया जाता है।

19. वर्तमान आ.प्र.या. के निपटारे के दृष्टिगत, लंबित अन्तर्वर्ती, आवेदन यदि कोई है निष्फल होने के नाते निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे0)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)